

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 793 सन 2019

अनवान :-

1. विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक परलीका तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेशकार राज

निर्णय दिनांक :- 18/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 70/75 के प0न0 353/410(41) किला न0 9 ता 13 , 17 ता 24 प्रत्येक 0.253 प0न0 352/410(42) के किला न0 6/1 की 0.227 ,7 ता 8, 13 ता 14 प्रत्येक 0.2530 , 15/1 की 0.228 ,16 ता 18 प्रत्येक 0.253 ,19/1 की 0.039 ,23/2 की 0.240 ,24/2 की 0.240 25/1 की 0.215 हैक प0न0 0 मु0न0 64 के किला न0 17 की 0.101 हैक गै0मु0 रास्ता कुल 6.3250 हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 221 हिस्सा वचक 3 आरएमएस के खाता संख्या 63/63 के प0न0 350/415(36) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530 ,5/1 की 0.228 ,6/1 की 0.228 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.2530 , 15/1 की 0.227 ,16/1 की 0.227 ,17 ता 20 प्रत्येक 0.253 ,21/1 की 0.227 ,22/1 की 0.227 ,23/1 की 0.227 ,24/1 की 0.227 ,25/0.202 हैक प0न0 0 मु0न0 53/35 के किला न0 0 की 0.126 हैक मु0न0 55/18 किला न0 0/1 की 0.126 है कुल 6.3256 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 10/66 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लाखू वल्द मेधा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लाखू वल्द मेधा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लाखू वल्द मेधा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद

18/3/2020  
नोहर

को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता लाखू वल्द मेधा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 70/75 की कुल 6.3250 हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 221 हिस्सा बचक 3 आरएमएस के खाता संख्या 63/63 की कुल 6.3256 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 10/66 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लाखू वल्द मेधा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लाखू वल्द मेधा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लाखू वल्द मेधा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 70/75 की कुल 6.3250 हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 का 221 हिस्सा बचक 3 आरएमएस के खाता संख्या 63/63 की कुल 6.3256 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 10/66 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि लाखू वल्द मेधा के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लाखू वल्द मेधा के नाम से दर्ज है वादी के दादा लाखू वल्द मेधा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के हकदार है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका अपासी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी


अ

प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 70/75 के प0न0 353/410(41) किला न0 9 ता 13 , 17 ता 24 प्रत्येक 0.253 प0न0 352/410(42) के किला न0 6/1 की 0.227 ,7 ता 8, 13 ता 14 प्रत्येक 0.2530 , 15/1 की 0.228 ,16 ता 18 प्रत्येक 0.253 ,19/1 की 0.039 ,23/2 की 0.240 ,24/2 की 0.240 25/1 की 0.215हैक प0न0 0 मु0न0 64 के किला न0 17 की 0.101हैक गै0मु0 रास्ता कुल 6.3250हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 221 हिस्सा वादी का 145 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 76 हिस्सा खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 63/63 के प0न0 350/415(36) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530 ,5/1 की 0.228 ,6/1 की 0.228 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.2530 , 15/1 की 0.227 ,16/1 की 0.227 ,17 ता 20 प्रत्येक 0.253 ,21/1 की 0.227 ,22/1 की 0.227 ,23/1 की 0.227 , 24/1 की 0.227, 25/0.202 हैक प0न0 0 मु0न0 53/35 के किला न0 0 की 0.126हैक मु0न0 55/18 किला न0 0/1 की 0.126है कुल 6.3256हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 10/66 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दपतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।



उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
मोहर ( हनुमानगढ़ )

सुनवाई

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी परलिका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
3. प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक परलीका तहसील नोहर।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 793 सन 2019 निर्णय दिनांक- 18/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कौवर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि सही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 70/75 के प0न0 353/410(41) किला न0 9 ता 13 , 17 ता 24 प्रत्येक 0.253 प0न0 352/410(42) के किला न0 6/1 की 0.227 ,7 ता 8, 13 ता 14 प्रत्येक 0.2530 , 15/1 की 0.228 ,16 ता 18 प्रत्येक 0.253 ,19/1 की 0.039 ,23/2 की 0.240 ,24/2 की 0.240 25/1 की 0.215 हैव प0न0 0 मु0न0 64 के किला न0 17 की 0.101 हैव गै0मु0 रास्ता कुल 6.3250 हैव में प्रतिवादी संख्या 1 का 221 हिस्सा वादी का 145 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 76 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 63/63 के प0न0 350/415(36) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530 ,5/1 की 0.228 ,6/1 की 0.228 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.2530 , 15/1 की 0.227 ,16/1 की 0.227 ,17 ता 20 प्रत्येक 0.253 ,21/1 की 0.227 ,22/1 की 0.227 ,23/1 की 0.227 , 24/1 की 0.227 , 25/0.202 हैव प0न0 0 मु0न0 53/35 के किला न0 0 की 0.126 हैव मु0न0 55/18 किला न0 0/1 की 0.126 है कुल 6.3256 हैव भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 10/66 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )